

दिल्ली में अब आपके घर तक पहुंचाएगी ये 'छूटकू' बस, इसी साल शुरू हो जाएगी सुविधा

संजय बाटला, सम्पादक

दिल्ली में जल्द ही मोहल्ला बसें चलेंगी। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभी रूट फाइनल करने का काम चल रहा है। जल्द ही इस योजना के तहत छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मोहल्ला बस स्कीम को लागू करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। रूट फाइनल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो वहीं इस योजना के तहत चलाने के लिए छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी होने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों से पता चला है कि 2080 बसें में से 1040 बसें खरीदने के लिए डीटीसी प्रबंधन इसी हफ्ते बस निर्माता कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है। ये सभी 9 मीटर आकार वाली छोटी साइज की इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जो पूरी तरह एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरे, पैनिंक बटन, जीपीएस और कम्प्युटेशन सिस्टम से लैस होंगी। इन 1040 बसें से 728



बसें पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी से और 312 बसें जेबीएम ग्रुप से खरीदी जाएंगी। तीन महीने में इन बसें की डिलिवरी शुरू हो जाएगी।

योजना के तहत आएगी 2080 बसें

सूत्रों ने बताया कि मोहल्ला बस योजना के तहत जो 2080 बसें आएंगी, उन्हें डीटीसी और क्लस्टर स्कीम के तहत 50-50 की पार्टनरशिप

में चलाया जाएगा। डीटीसी के लिए 1040 बसें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट इसी हफ्ते साइन होने वाला है, वहीं क्लस्टर स्कीम के तहत चलने वाली 1040 बसें का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट विभाग पहले ही इन्हीं दोनों कंपनियों के साथ साइन कर चुका है। ट्रांसपोर्ट विभाग को भी 728 बसें पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी से और 312 बसें जेबीएम ग्रुप से मिलेंगी। इन बसें की डिलिवरी अगले महीने

से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश है कि इस साल के आखिर तक मोहल्ला बस योजना शुरू हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए बसें की खरीद और डिलिवरी की प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, ताकि बसें मिलने में देरी न हो।

12 मीटर साइज वाली बसें भी आएंगी

इसके अलावा दिल्ली सरकार डिस्ट्रिक्ट और डीटीसी के तहत चलाने के लिए अलग से 12 मीटर साइज वाली 1900 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीद रही है। इनमें से 50 प्रतिशत बसें अशोक लीलैंड कंपनी की इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली सहभागी स्विच मोबिलिटी से खरीदी जाएंगी, जबकि 30 प्रतिशत बसें पीएमआई इलेक्ट्रो से और 20 प्रतिशत बसें जेबीएम ग्रुप से खरीदी जाएंगी। स्विच मोबिलिटी के साथ पिछले हफ्ते ही ट्रांसपोर्ट विभाग ने 950 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। अगले 4 से 5 महीनों में चरणबद्ध तरीके से इन बसें की डिलिवरी भी मिल जाएगी। ये सभी बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल 800 इलेक्ट्रिक बसें की तरह होंगी और इनके आने के बाद क्लस्टर स्कीम के तहत भी इलेक्ट्रिक बसें का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित होगा।

टैपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

पीएम ई-बस सेवा योजना में चंडीगढ़: केंद्र से प्रति किमी मिलेगी 24 रुपये सब्सिडी

चंडीगढ़। वर्तमान में नौ मीटर की बस से सीटीयू को प्रति किमी करीब 35 रुपये की कमाई हो रही है। बताया जा रहा है अब जो बसें आएंगी वह 12 मीटर की होंगी, जिसमें बैठने और खड़े होने की क्षमता ज्यादा होगी। हालांकि, सीटीयू के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि आने वाली बसें से भी कम से कम प्रति किमी 35 रुपये की आमदनी तो होगी ही।

पिछले काफी समय से लोकल रूट पर घाटे में चल रहे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटैकिंग (सीटीयू) के जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम ई-बस सेवा योजना में चंडीगढ़ का चयन हुआ है। इसमें सीटीयू को 100 बसें के लिए केंद्र सरकार से प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इन 100 बसें को छह महीने के अंदर सड़कों पर उतारने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में शहर की सड़कों पर जो 80 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं, वे केंद्र सरकार की ओर से फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल (फेम इंडिया) योजना के अंतर्गत लाई गई हैं। प्रति बस केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को 45 लाख रुपये की सब्सिडी दी है लेकिन अब सब्सिडी देने के मांडल को बदला जा रहा है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बस संचालन के विस्तार के लिए केंद्र ने पीएम-ई बस सेवा को लांच किया है। इसमें चंडीगढ़ को शामिल किया है, जिसके तहत शहर को 100 ई-बसें के लिए प्रति बस 24 रुपये प्रति किलोमीटर की सब्सिडी मिलेगी।

बसों को खुद नहीं खरीद रहा सीटीयू

दरअसल, अब सीटीयू बसें को खुद खरीद नहीं रहा है बल्कि पीपीपी मॉडल पर कंपनियों से प्रति किमी पर समझौता कर रहा है। वर्तमान में 40-40 कर 80 ई-बसें के लिए दो कंपनियों से समझौता हुआ है। पहली 40 बसें के लिए अशोक लीलैंड से 10 साल के लिए 154.01 करोड़ और फरवरी 2022 में अन्य 40 बसें के लिए वॉल्वो-आयशर के साथ 10 साल के लिए 115.44 करोड़ रुपये में समझौता हुआ। वॉल्वो-आयशर को सीटीयू 44.99 रुपये प्रति किलोमीटर चुका रहा है। सीटीयू को सिर्फ किमी के अनुसार कंपनी को पैसे देने हैं, बस, ड्राइवर, बसें का रखरखाव, चार्जिंग स्टेशन आदि सब कुछ कंपनी की जिम्मेदारी होती है।

अब ऐसे लाभ में आ सकता है सीटीयू

वर्तमान में नौ मीटर की बस से सीटीयू को प्रति किमी करीब 35 रुपये की कमाई हो रही है। बताया जा रहा है अब जो बसें आएंगी वह 12 मीटर की होंगी, जिसमें बैठने और खड़े होने की क्षमता ज्यादा होगी। हालांकि, सीटीयू के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि आने वाली बसें से भी कम से कम प्रति किमी 35 रुपये की आमदनी तो होगी ही। इसके साथ ही केंद्र सरकार से प्रति किमी 24 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। ऐसे में सीटीयू की आमदनी कुल 59 रुपये प्रति किमी की होगी और जिस भी कंपनी से बस चलाने के लिए समझौता होगा वह 45 रुपये के आसपास होगा।

दिल्ली से झज्जर तक ई-बसें चलाने की तैयारी महिलाओं को मिल सकती है फ्री यात्रा की सौगात

झज्जर से दिल्ली के बीच जल्द ही अब डीटीसी की ई-बसें चलाए जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने इस बात का भरोसा दिलाया है। डीटीसी की बसें के चलने से झज्जर के कई गांव सीधे मेट्रो के नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इससे एक ओर बड़ा फायदा होगा। महिलाओं को झज्जर से दिल्ली तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

चंडीगढ़। झज्जर से दिल्ली तक डीटीसी की ई-बसें चलाने की तैयारी है। अगर डीटीसी की बस सेवा शुरू हो जाती है तो झज्जर सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा। साथ ही महिलाओं को झज्जर से दिल्ली तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा के नेतृत्व में मंगलवार को डीटीसी बसें चलाने की मांग को लेकर पहुंचे झज्जर जिले के सरपंचों को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने इस पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल खाप प्रधान 84 सुनील गुलिया, दरियापुर के सरपंच पवन,

जहांगीरपुर के सरपंच सुखदेव, खीरी के सरपंच रामवीर और माजरी के सरपंच धर्मवीर ने कहा कि ई-बसें चलने से आवागमन आसान होगा।

मेट्रो से जुड़ेंगे कई गांव, हजारों लोगों को होगा फायदा

अनुराग ढांडा ने कहा कि झज्जर बस स्टैंड तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा शुरू होने पर जिले के गांव भी सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। झज्जर से हर रोज हजारों लोग नौकरी, कारोबार और अन्य कामों के लिए दिल्ली का सफर करते हैं। साथ ही झज्जर और आसपास के जिलों के हजारों लोग भी अच्छे और विश्वस्तरीय इलाज के लिए दिल्ली के सरकार के अस्पतालों का रुख करते हैं। दिल्ली से झज्जर शहर के बस स्टैंड तक बस सेवा शुरू होने पर हजारों लोगों का पैसा और समय भी बचेगा। झज्जर की हजारों महिलाएं भी फ्री सफर कर सकती हैं।

उन्होंने बताया कि दिल्ली नजफगढ़ टर्मिनल से एम्स-झज्जर (बादसा गांव) के बीच दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस सेवाओं का विस्तार पहले ही किया जा चुका है। यह सेवाएं दिल्ली और हरियाणा के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले योगियों और एम्स कर्मचारियों सहित हजारों



यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं। डीटीसी नजफगढ़ टर्मिनल और एम्स झज्जर के बीच बसें वर्तमान में दौराला सीमा के माध्यम से चलती हैं।

भारत में कार निर्माता वाहन स्क्रेपिंग को दें बढ़ावा, नितिन गडकरी की अपील



परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर भारत में कार निर्माताओं से प्रदूषण को कम करने और खरीदारों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रेपिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि पुराने वाहन स्क्रेपिंग सभी हितधारकों के लिए एक जीत की स्थिति प्रदान करती है क्योंकि इससे नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने और पुराने वाहनों को रीसाइक्लिंग करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने पहले वाहन प्रदूषण को

कम करने के लिए 15-20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक व्यापक वाहन स्क्रेपिंग नीति लागू की थी।

पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए भारत में अभी भी पर्याप्त संख्या में वाहन स्क्रेपिंग यूनिट्स नहीं हैं। मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जैसे कार निर्माता पहले ही देश भर में अपनी वाहन स्क्रेपिंग यूनिट्स लॉन्च कर चुके हैं। गडकरी ने पहले कहा था कि कार निर्माताओं और डीलरों को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। गडकरी ने वाहन निर्माताओं से पुराने वाहनों को स्क्रेप करने के लिए ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए और



अधिक निवेश लाने के साथ-साथ कार मालिकों को केंद्र की वाहन स्क्रेपिंग नीति के फायदों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया है। मंत्री ने कहा, रॉटो उद्योग इस नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी है, उन्हें आगे आना चाहिए और तीन मुख्य स्तंभों का समर्थन करना चाहिए। रॉटो उद्योगों को वाहन निर्माताओं से देश भर में ऑटोमेटेड टैस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का भी आग्रह किया है।

केंद्रीय मंत्री ने पहले कहा था कि वाहन स्क्रेपिंग नीति से ऑटोमोबाइल की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ जाएगी। उनका मानना है कि कबाड़ हुए वाहनों से हासिल कच्चे माल का इस्तेमाल करने से कच्चे माल की खरीद पर 33 प्रतिशत लागत की बचत होगी और नए वाहनों की बिक्री

में 18-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनका मानना है कि यह नीति भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग हब (विनिर्माण केंद्र) बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

अगस्त 2021 में पहली बार पेश की गई वाहन स्क्रेपिंग नीति, वाहन प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए पूरे भारत में पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर केंद्रित है। क्योंकि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में पर्यावरण को ज्यादा प्रदूषित करने के लिए जाने जाते हैं। इस नीति का मकसद 20 वर्ष से ज्यादा पुरानी निजी कारों और 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द करना है।

एनएचएआई में प्रबंधक सहित कई पदों पर भर्तियां, दो लाख से अधिक मिलेगा वेतन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रबंधक, उप प्रबंधक, महाप्रबंधक और जूनियर हिंदी अनुवादक पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2023 तक है।

रिक्तियों का विवरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 62 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण निम्नलिखित है- महाप्रबंधक (तकनीकी) 10 पद उप महाप्रबंधक (तकनीकी) 20 पद प्रबंधक (तकनीकी) 30 पद कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 02 पद

शैक्षणिक योग्यता

एनएचएआई की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार को सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद में मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिसूचना जरूर पढ़ें।

2023 वेतनमान

महाप्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगा: लेवल -11 (₹. 123100-215900) / (पूर्व-संशोधित) पीबी -4 (₹. 37400-67000) और ग्रेड वेतन 8700 रुपये उप महाप्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगा: लेवल -12 (₹. 78800-209200) / (पूर्व-संशोधित) पीबी -3 (₹. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 7600 रुपये प्रबंधक (तकनीकी) पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मिलेगा: लेवल -11 (₹. 67700-208700) / (पूर्व-संशोधित) पीबी-3 (₹. 15600-39100) और ग्रेड वेतन 6600 रुपये

महिलाएं इस बीमारी को भूलकर भी न करें नजरअंदाज, 5 लक्षणों से पहचान कर इलाज जरूरी, डॉक्टर से समझे बचाव के तरीके

यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है। यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है। यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं की बड़ी समस्याओं में से एक है। यह एक तरह का ब्लैडर इन्फेक्शन है, जो किडनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय को प्रभावित करता है। इस तरह का इन्फेक्शन होने पर महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। समय रहते उचित इलाज न होने पर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है। आइए गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी से जानते हैं यूटीआई के लक्षणों के बारे में-

आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान महिलाओं पर भारी पड़ रहा है। इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई भी बड़ी समस्याओं में एक है। सामान्य भाषा में इसे यूरिन इन्फेक्शन भी कहा जाता है। यह एक तरह का ब्लैडर इन्फेक्शन है, जो किडनी, मूत्र मार्ग और मूत्राशय को प्रभावित करता है। इस तरह का इन्फेक्शन होने पर महिलाओं को काफी तकलीफ होती है। इस परेशानी का एक बड़ा कारण यूटीआई के बारे में पर्याप्त जानकारी न होना भी है। यही वजह है कि कई महिलाएं यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है, क्योंकि यह समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। समय रहते उचित इलाज न होने पर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने का खतरा रहता है। आइए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली की गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी से जानते हैं यूटीआई के लक्षणों के बारे में- **महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन होने के 5 संकेत** पेट के निचले हिस्से में दर्द: महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह यूरिन इन्फेक्शन



खतरनाक है इस बीमारी को नजरअंदाज करना

डॉ. ज्योत्सना देवी
गायनोकोलॉजिस्ट संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली

होने का भी संकेत हो सकता है। इस तरह की दिक्कत होने पर दर्द के साथ जलन का भी अनुभव हो सकता है। बता दें कि, कई महिलाएं इसे पीरियड का दर्द समझ कर इग्नोर कर देती हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। इस स्थिति में डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी है। **पेशाब में जलन:** दर्द के साथ पेशाब में होने वाली जलन भी यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों में से एक है। इस बीमारी के होने पर पेशाब करते समय तेज जलन महसूस हो सकती है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक, महिलाओं को यूरिन

इन्फेक्शन से बचने के लिए पब्लिक टॉयलेट यूज करते समय साफ-सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। **बार-बार पेशाब आना:** महिलाओं में बार-बार पेशाब आना भी यूरिन इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, कई बार तेज पेशाब का प्रेशर महसूस तो होता है, लेकिन टॉयलेट जाने पर बहुत कम मात्रा में यूरिन पास होता है। यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो यूरिन टेस्ट करवाने के साथ चिकित्सीय सलाह जरूरी है। **अधिक थकान लगना:** यूरिन इन्फेक्शन का एक

बड़ा संकेत हर वक्त थकान भी हो सकती है। ऐसे में यदि आपको भी बिना कोई काम किए ही हर समय थकान महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज करना गलत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए। **पेशाब का रंग बदलना:** महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन होने पर कई बार पेशाब का रंग बदल जाता है, जो अक्सर पीला या मटमैले रंग का हो सकता है। कई बार यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि पेशाब से ब्लड भी निकलने लगता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं।

प्रेग्नेंसी में क्यों खाना चाहिए मखाना? किन परेशानियों से मिलती है निजात, जानें 1 दिन में कितने मखाने खाना सही

प्रेग्नेंसी के दौरान आपको डाइट में मखाने को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे मां और बच्चे दोनों को फायदा मिलेगा। प्रेग्नेंसी में मखाने खाने से गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद होने वाले हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके लिए यदि आप मखाने को धीमे-धीमे खाते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। **खून की कमी सुधारे:** मखाने का सेवन आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है। बता दें कि, प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। ऐसे में यदि आप मखाना खाती हैं तो हीमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर कर सकती हैं। इसका आप सीमित मात्रा में सेवन कर सकती हैं। **कब्ज से दिलाए राहत:** प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है, जिससे निजात पाना बेहद जरूरी है। इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी डाइट में मखाने को शामिल कर सकती हैं। बता दें कि, मखाना फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप मखाने को रोस्ट करके या दूध में उबालकर खा सकती हैं।

प्रेग्नेंसी हर महिला के लिए सबसे सुखद अहसास होता है। ऐसे में हर महिला की चाह होती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल और पेट में पल रहा शिशु हेल्दी हो। इसके लिए आपको डाइट में कुछ डाइटरीज को जरूर शामिल करना चाहिए। खासतौर पर मखाना। दरअसल, मखाना पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। बेशक आप इसको कभी भी खा लें, लेकिन प्रेग्नेंसी में यह बेहद लाभकारी होता है। गर्भावस्था के दौरान मखाने खाने से प्रेग्नेंट महिला और उसके शिशु को सेहत को कई लाभ हो सकते हैं। अब सवाल है कि प्रेग्नेंसी में मखाने क्यों फायदेमंद हैं? किन परेशानियों को दूर करते हैं? दिनभर में कितने मखाना खाना सही? इन सवालों के बारे में विस्तार से बता रही हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा। **इन पोषक तत्वों का भंडार है मखाना** डॉ. साहा के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में मखाने का सेवन फायदेमंद होता है। दरअसल, मखाने में फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, जिंक पोटेसियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व

पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी होते हैं। इसके अलावा मखाने में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए आप इसे स्नैक के रूप में खा सकती हैं। इससे मां के साथ पेट में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है।

दिनभर में कितने मखाना खाना सही डॉ. साहा के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं को मखाने खाना बेहद फायदेमंद है, लेकिन बहुत अधिक खाने से बचें। इसके लिए बेहतर होगा कि 1 दिन में एक से दो मुट्ठी ही मखाने खाएं। ऐसा करने से मां और शिशु दोनों हेल्दी रहेंगे।

प्रेग्नेंसी में मखाना खाने के 5 चमत्कारी लाभ

हड्डियां मजबूत होंगी: प्रेग्नेंसी में मखाने खाने से शरीर को मजबूती मिलती है। दरअसल, मखाना कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। ऐसे में ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। प्रेग्नेंसी में मखाना खाने से गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद होने वाले हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके लिए यदि आप मखाने को धीमे-धीमे खाते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा।

खून की कमी सुधारे: मखाने का सेवन आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है। बता दें कि, प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। ऐसे में यदि आप मखाना खाती हैं तो हीमोग्लोबिन के स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में आप शरीर में होने वाली खून की कमी को दूर कर सकती हैं। इसका आप सीमित मात्रा में सेवन कर सकती हैं।

कब्ज से दिलाए राहत: प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है, जिससे निजात पाना बेहद जरूरी है। इस परेशानी से बचने के लिए आप अपनी डाइट में मखाने को शामिल कर सकती हैं। बता दें कि, मखाना फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके लिए आप मखाने को रोस्ट करके या दूध में उबालकर खा सकती हैं।

पितृपक्ष- श्राद्ध 2023



29 सितंबर 2023, शुक्रवार से 14 अक्टूबर 2023, शनिवार तक श्राद्ध पक्ष रहेगा।

सनातन धर्म- शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष रहता है।

पितृ पक्ष 2023 श्राद्ध की मुख्य तिथियां :-

पूर्णिमा श्राद्ध- 29 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध- 29 सितंबर द्वितीया श्राद्ध तिथि- 30 सितंबर तृतीया तिथि का श्राद्ध- 1 अक्टूबर चतुर्थी तिथि श्राद्ध- 2 अक्टूबर पंचमी तिथि श्राद्ध- 3 अक्टूबर षष्ठी तिथि का श्राद्ध- 4 अक्टूबर सप्तमी तिथि का श्राद्ध- 5 अक्टूबर अष्टमी तिथि का श्राद्ध- 6 अक्टूबर नवमी तिथि का श्राद्ध- 7 अक्टूबर दशमी तिथि का श्राद्ध- 8 अक्टूबर एकादशी तिथि का श्राद्ध- 9 अक्टूबर माघ तिथि का श्राद्ध- 10 अक्टूबर द्वादशी तिथि का श्राद्ध- 11 अक्टूबर त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध- 12 अक्टूबर चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध- 13 अक्टूबर सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध तिथि- 14 अक्टूबर

मुल्क में सही मायनों में संघीय ढांचे की जरूरत की कवालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह बात महसूस की जा रही है कि राज्यों को और ज्यादा वित्तीय एवं राजनीतिक शक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि इस पक्ष पर सभी एकमत हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जंजाल से ऊपर उठकर राज्य सरकारों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के चयन

मुख्यमंत्री ने उत्तरी जोनल कौंसिल की बैठक में अमित शाह के आगे जोरदार ढंग से उठाए पंजाब के मसले

(साहिल बेरी)

अमृतसर। पंजाब के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता अधीन उत्तरी जोनल कौंसिल की 31वीं बैठक में राज्य के अलग-अलग मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया।

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और पंजाब के लोगों की केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का स्नेहपूर्ण स्वागत किया। उत्तरी जोनल कौंसिल की 31वीं बैठक पवित्र शहर में करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र नगरी का समूची मानवता के दिलों में गहरा सम्मान है, जहाँ हर रोज एक लाख श्रद्धालु माथा टेक कर हरेक के भले के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अतीत में यह शहर कारोबारी सरगर्मियों का केंद्र रहा है और राज्य सरकार के प्रयासों के स्वरूप यह शहर जल्दी ही मध्य एशिया और उससे पार की मंडियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा।

मेहनती और बहादुर पंजाबियों ने पाँच नदियों की इस धरती पर इतिहास के कई पन्ने पलटते हुए देखे हैं। देश के अन्न भंडार के तौर पर नाम कमाने के साथ-साथ पंजाब को देश की खडगभुजा होने का भी गर्व हासिल है और पंजाबियों को विश्व भर में अपनी बहादुरी, सहनशीलता और उद्यमी होने की भावना के कारण जाना जाता है। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि मेहनती पंजाबी, जो दुनिया भर में अपने उद्यमी कौशल, सहनशीलता और कुशलता के कारण जाने जाते हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उत्तरी जोनल कौंसिल हमारे आर्थिक विकास के लिए अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ाने के लिए यह बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के हित में है कि हम एकसाथ बैठें और इस क्षेत्र, जो भौगोलिक तौर पर जमीनी हदों और सरहदों के साथ जुड़ा होने के कारण हमेशा नुकसान में रहा है, के सामाजिक-आर्थिक विकास की बेहतर नींव संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने संघीय ढांचे की जरूरत की कवालत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समूचे राजनीतिक परिपेक्ष्य में यह बात महसूस की जा रही है कि राज्यों को और ज्यादा वित्तीय एवं राजनीतिक शक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि इस पक्ष पर सभी एकमत हैं कि राजनीतिक पार्टियों की जंजाल से ऊपर उठकर राज्य सरकारों को अपनी विकास प्राथमिकताओं के चयन

और राजस्व के लिए काम करने के लिए ज्यादा छूट देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संघवाद हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, परन्तु बदकिस्मति से पिछले 75 सालों में इस अधिकार पर केंद्रीयकरण का रुझान हावी रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह बात हर कोई जानता है कि आधुनिक युग में राज्य सरकारें अपने लोगों की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं।"

भाखड़ा ब्यास प्रशासनिक बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में राजस्थान को मैबर नियुक्त करने की माँग पर जोरदार विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य पुनर्गठन एक्ट 1966 के प्रस्तावों के अधीन बी.बी.एम.बी. का गठन हुआ और यह एक्ट मूलभूत रूप से दो उत्तराधिकारी राज्यों पंजाब और हरियाणा के मसलों के बारे में है। इस एक्ट के सभी प्रस्तावों के साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन कारणों से वह भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से किसी तीसरे मैबर को शामिल करने के प्रस्ताव का सख्ती से विरोध करते हैं।

शानन पावर हाऊस प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने दुख से कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा जोगिन्दरनगर में शानन पावर हाऊस को स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया गया है, जिसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि साल 1925 में मंडी के राजा ने इस प्रोजेक्ट के लिए 99 सालों के लिए जमीन लीज पर दी थी, जिसकी समय-सीमा साल 2024 में खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि उठाया गया जबकि यह प्रोजेक्ट पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के उपबंधों के अंतर्गत पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को सौंपा गया था। पंजाब पुनर्गठन एक्ट संसद का एक्ट है जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य बने। जिक्रयोग्य है कि इसी एक्ट ने नीचे की ओर बस्ती पावर हाऊस (उल हाइड्रल प्रोजेक्ट पड़ाव-2) की मलकीयत और कंट्रोल हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को सौंपी है। यह स्थिति आधी सदी से अधिक समय से भारत सरकार द्वारा बिना कोई छेड़छाड़ के कायम रखी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने साल 1975 से 1982 तक अपने खर्च पर प्रोजेक्ट का विस्तार किया और इसकी क्षमता 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि



यह मामला केंद्रीय बिजली मंत्रालय के समक्ष विचारधीन है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि भारत सरकार उपरोक्त और सही कानूनी स्थिति बरकरार रखेगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्त करने के लिए केंद्रीय मलकीयत के सम्बन्ध में लिया गया कोई भी अन्य स्टैंड एक्ट के उलट होगा और पंजाब एवं इसके लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइस्साफी होगी।

बी.बी.एम.बी. में सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पदों पर सीधे तौर पर खुली भर्ती द्वारा भरने के कदम की सख्त विरोधता की। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी, 2022 को बी.बी.एम.बी. (संशोधन) नियम केंद्र के उर्जा मंत्रालय ने जारी किए थे, जिसके मुताबिक सिंचाई और ऊर्जा के सदस्यों के पद खुली भर्ती के द्वारा सीधे तौर पर भरे जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने इसकी विरोधता करते हुए कहा कि इन नये नियमों ने पुरानी व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की है, जिसके मुताबिक मैबर ऊर्जा हमेशा पंजाब से नियुक्त होता था, जबकि मैबर सिंचाई हरियाणा से नियुक्त होता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी व्यवस्था में पंजाब से कोई भी इंजीनियर मैबर ऊर्जा के पद के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि साल 2022 से पहली व्यवस्था बहाल की जाए क्योंकि बी.बी.एम.बी. में पंजाब का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ तक कि बी.बी.एम.बी. का

गठन भी पंजाब पुनर्गठन एक्ट-1966 के अंतर्गत हुआ था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह अधिकारी की कि भारत सरकार उपरोक्त और सही कानूनी स्थिति बरकरार रखेगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्त करने के लिए केंद्रीय मलकीयत के सम्बन्ध में लिया गया कोई भी अन्य स्टैंड एक्ट के उलट होगा और पंजाब एवं इसके लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइस्साफी होगी।

राजस्थान द्वारा भाखड़ा डैम और पौंग डैम में जल भंडार का स्तर बरकरार रखने की की जा रही माँग के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी तौर पर जब यह दोनों डैमों का डिजाइन तैयार किया गया था तो उस समय पर भाखड़ा डैम की असली ऊँचाई 1685 फुट थी और पौंग डैम की ऊँचाई 1400 फुट थी। उन्होंने कहा कि साल 1988 के समय के दौरान पंजाब ने कई बार बाढ़ का सामना किया और उसके बाद भारत सरकार और सी.डब्ल्यू.सी. ने एक फैसला लिया और भाखड़ा एवं पौंग डैमों का एक.आर.एल. का स्तर क्रमवार 5 फुट और 10 फुट घटा दिया गया था। यहाँ यह भी बताने योग्य है कि सतलुज या ब्यास नदियों का बाढ़ का पानी हरियाणा या राजस्थान या किसी अन्य राज्य को नहीं जाता। इस कारण पंजाब को साल 1988 में, साल 2019 में, इस समय के दरमियान और हाल ही में कुछ पहले पंजाब को बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने

कहा कि ऐसे हालात में जब राजस्थान से संकेत के समय में पंजाब सरकार को कोई सहयोग नहीं मिलता तो डैमों के पूरे जल भंडार के स्तर को बढ़ाना अनुचित है। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा 15 मई, 2023 को अपने पत्र के द्वारा, बी.बी.एम.बी. के चेयरमैन को हिमाचल प्रदेश द्वारा जल सप्लाई और सिंचाई योजनाओं के लिए पानी निकालने के बारे में एन.ओ.सी. सर्टिफिकेट लेने की शर्तों में ढील देने के जारी किए गए निर्देशों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बी.बी.एम.बी. को जारी किए गए निर्देश, पंजाब राज्य को स्वीकार नहीं हैं और भारत सरकार द्वारा इस पर फिर विचार किए जाने की जरूरत है क्योंकि जल समझौते के मद्देनजर, सतलुज और ब्यास नदी में से हिमाचल प्रदेश राज्य को पानी का वितरण करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बी.बी.एम.बी. का काम रोपड़, हरीके और फिरोज़पुर में डैम, जल भंडारों, नंगल हाइड्रल चैनल और सिंचाई हैडवर्क्स का केवल प्रबंधन, रख-रखाव और संचालन करना है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अधीन बी.बी.एम.बी. को नदियों में से पानी हिस्सेदार राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य को देने का अधिकार नहीं है और हिमाचल प्रदेश तो हिस्सेदार राज्य भी नहीं है।

ऑपरेशन में युवक के पेट से निकला 500 ग्राम का तौलिया, हर्निया की सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने छोड़ा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजधानी के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक युवक के पेट में 500 ग्राम का तौलिया छोड़ दिया। ऑपरेशन वाले हिस्से में दोबारा दर्द होने पर वह लोक नायक अस्पताल दिखाने पहुंचा जहां पर ऑपरेशन वाली जगह से 500 ग्राम वजनी तौलिया निकला। अब विवाद निवारण आयोग ने पीड़ित के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया है।

दिल्ली। ऑपरेशन करते वक़्त पेट में तौलिया छोड़ने के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार मानते हुए उत्तर पूर्वी जिला विवाद निवारण आयोग ने पीड़ित के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया है। साथ ही इसी मामले से जुड़े दिल्ली मेंडिकल काउंसिल की रिपोर्ट में पाया कि डॉक्टर ने गैर पंजीकृत अस्पताल में ऑपरेशन किया था।

यह देखते हुए आयोग ने डॉक्टर को आदेश दिया है कि वह मुआवजा राशि शिकायत की तिथि से भुगतान होने तक छह प्रतिशत ब्याज सहित दे दे, परामर्श शुल्क और आने-जाने पर हुए खर्च के लिए 50 हजार रुपये और विधिगत खर्च के लिए 25 हजार रुपये ब्याज समेत पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है।

हर्निया में गांठ व सूजन की आई दिक्कत

पुरानी सोमापुरी निवासी अनवर अहमद



ने आयोग में शिकायत की थी। उसके मुताबिक, 12 मार्च 2016 को उनके पेट में दर्द हुआ था। उसके उपचार के लिए वह यमुना विहार सी-4 स्थित समरा अस्पताल गए थे। वहां पर डॉ. अब्दुल खालिक और डॉ. अब्दुल कादिर ने देखने के बाद जांच कराई थी। उसमें हर्निया में गांठ व सूजन की समस्या सामने आई थी।

उस पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। 22 मार्च 2016 को इस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। तीन दिन बाद छुट्टी मिलने पर रुपये भुगतान कर घर चले गए थे। घर पहुंचने के बाद ऑपरेशन वाले हिस्से में दर्द होने लगा था और पस के साथ पानी निकलने

लगा था। 26 मार्च 2016 को फिर से अस्पताल जाकर डॉ. अब्दुल कादिर को दिखाया था।

ऑपरेशन वाली जगह से निकला तौलिया

इसके बाद भी कई चक्कर लगाए, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। फिर वह लोक नायक अस्पताल दिखाने पहुंचे। वहां नियमित पट्टी के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। इस पर 31 अगस्त 2016 को उनकी सर्जरी की गई, जिसमें पहले ऑपरेशन वाली जगह से 500 ग्राम वजनी तौलिया निकला। सर्जरी के अगले दिन यहां से उनको छुट्टी दे दी गई थी।

इस शिकायत में अनवर ने समरा अस्पताल, डॉ. अब्दुल खालिक और डॉ. अब्दुल कादिर को प्रतिवादी बनाया था। आयोग में डॉ. अब्दुल खालिक ने अपने और अस्पताल की तरफ से लिखित पक्ष दाखिल किया था कि शिकायत झूठी है, उनकी ओर से कोई लापरवाही नहीं थी। इतिवतल मेश के साथ हर्नियोप्लास्टी की गई थी।

मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने का आदेश

आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता संक्रमण के लिए खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि वह नियमित रूप से पट्टी कराने नहीं आए थे। मेश निकालने के लिए उनकी निःशुल्क ऑपरेशन कराने का मौका भी दिया गया था।

इस प्रकरण में लोक नायक अस्पताल ने पक्ष रखते हुए बताया कि अनवर के पेट से पहले ऑपरेशन वाली जगह से तौलिया निकला था।

वहीं, इस मामले में दिल्ली मेंडिकल काउंसिल की रिपोर्ट में पाया कि वो ऑपरेशन गैर पंजीकृत अस्पताल में किया गया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता को परेशानी हुई थी। इस पर आयोग के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाले कोरम ने डॉ. अब्दुल खालिक की लापरवाही मानी और उनको आदेश दिया कि वह पीड़ित को मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा राशि का भुगतान करें।

टूलकिट मामले में जमानत शर्त में संशोधन से जुड़ी दिशा रवि की याचिका हाईकोर्ट ने किया खारिज

वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने टुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।



नई दिल्ली। वर्ष 2021 में किसानों के विरोध का समर्थन करने वाले टूलकिट को साझा करने से जुड़े मामले में विदेश यात्रा से पहले निचली अदालत की पूर्व अनुमति लेने की जमानत की शर्त में संशोधन से जुड़ी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका को हाईकोर्ट ने टुकरा दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। रवि की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने रवि को 13 फरवरी 2021 को किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत देते समय निचली अदालत ने दिशा रवि पर कई शर्तें लगाई थीं। इसमें यह भी कहा था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। दिशा रवि ने जमानत की शर्त में संशोधन की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें इतनी छूट जाए कि विदेश जाने से पहले वह निचली अदालत को सूचित करेंगी।

ज्वेलरी शोरूम में करीब 25 करोड़ रुपये की चोरी, स्ट्रांग रूम की दीवार काटकर गहने उड़ा ले गए चोर

दिल्ली के जंगपुरा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर धावा बोलते हुए करोड़ों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलते ही निजामुद्दीन थाने पुलिस ने मौके पर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि टीम को शक है कि चोरी रविवार रात को हुई है। चोर शोरूम की दीवार काटकर अंदर घुसे थे।



नई दिल्ली। दिल्ली के जंगपुरा स्थित एक ज्वेलरी शोरूम पर धावा बोलते हुए करोड़ों के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलते ही निजामुद्दीन थाने पुलिस ने मौके पर शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बताया कि भोगल इलाके में जिस आभूषण की दुकान में चोरी हुई है उसी दुकान में चोरी की रविवार रात को हुई है। चोर शोरूम की दीवार काटकर अंदर घुसे थे, जहां उन्होंने स्ट्रांग रूम में रखे करोड़ों को गहने चुरा लिए।

पुलिस के हाथ लगा CCTV फुटेज

डीसीपी साउथ-ईस्ट राजेश देव ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है। उसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। ये चोरी के एक बड़ी घटना है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराधियों को दुकान और आभूषणों के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्हें पता था कि स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचना है। उन्होंने बताया कि चोरों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में भी जानकारी थी। जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधी पहले से ही अपनी योजना बनाने के लिए वहां आये थे।

दुकान में थे 20-25 करोड़ के आभूषण: मालिक

ज्वेलरी शोरूम के मालिक संजीव जैन ने एनआई से बात करते हुए बताया, 'हमने रविवार को दुकान बंद कर दी थी और सोमवार की छुट्टी के बाद जब हमने इसे मंगलवार को खोला तो हमने देखा कि पूरी दुकान में धूल भरी हुई थी और स्ट्रांग रूम की दीवार में एक छेद था... हमें लगता है कि चोरों ने सब कुछ लूट लिया है। करीब 20-25 करोड़ रुपये की ज्वेलरी थी। चोर दुकान के अंदर छत के रास्ते से दाखिल हुए थे। सीसीटीवी समेत सबकुछ टूटा हुआ है।'

शरजील इमाम की जमानत अर्जी स्थगित, अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

दिल्ली दंगे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सोमवार को आरोपित शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर तय की है। मामले में बताए गए अपराध के तहत अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि वह न्यायिक हिरासत में बिता चुका है।

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सोमवार को आरोपित शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर निर्णय नहीं हो सका। अब इस मामले में कोर्ट अगले महीने यानी 13 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा। शरजील ने सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत यह कहते हुए वैधानिक जमानत अर्जी लगाई थी कि इस मामले में बताए गए अपराध के तहत अधिकतम सजा की आधी से ज्यादा अवधि वह न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। इस पर सोमवार को अभियोजन की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कोर्ट में कहा कि वह सीआरपीसी की इस धारा के संबंध में संसदीय बहस रिकॉर्ड पर रचना चाहते हैं।

साथ ही अर्जी पर अपना लिखित पक्ष देना चाहते हैं। इस मौके पर कोर्ट ने केस में राजद्रोह के आरोप की धारा लगाने के संबंध में प्रश्न पूछा। इस पर दोनों पक्षों की ओर से बहस के लिए समय मांग लिया गया। कोर्ट ने फिर अगली तारीख तय कर दी।

घर जलाने के प्रयास के मामले में दो पर आरोप तय

वहीं, दिल्ली दंगे के दौरान चोरी व घर जलाने का प्रयास करने के मामले में कड़कड़ाम कोर्ट ने दो लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जबकि इसमें शामिल दुकानें जलाने के संबंध में तीन लोगों की शिकायतें फिर से जांच के लिए दयालपुर थाने के एसएचओ को भेज दी गईं हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रत्येक शिकायत की ठीक से जांच करके उसे तार्किक निष्कर्ष पर लेकर जाना पुलिस का कर्तव्य है। दयालपुर थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी एन्क्लेव में 24 फरवरी 2020 को शाम साढ़े चार बजे दंगाइयों ने छिद्र लाल तोमर के घर में लूटपाट की थी, साथ साथ लगाने का प्रयास किया गया था। इस मामले में प्रार्थमिकी की गई थी। इसमें 11 शिकायतें और जोड़ दी गई थीं। जांच के दौरान समय और स्थान अलग होने पर इनमें से आठ शिकायतों को इस केस से वापस ले लिया गया था। केवल घर जलाने के प्रयास और दुकानें जलाने की चार शिकायतों पर जांच आगे चली। इसमें पुराना मुस्तफाबाद निवासी फिरोज खान उर्फ पप्पू और मोहम्मद अनवर को आरोपित बनाया गया। आरोपों के बिंदुओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने छिद्र लाल तोमर के घर में आग लगाने के प्रयास को घटना को लेकर दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

SC ने दिल्ली HC के फैसले को बदलने से किया इनकार, विधि कोर्सों में एडमिशन से जुड़ा है मामला

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सामान्य विधि परीक्षा स्नातक (क्लैट-यूजी) के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इनकार कर दिया।



नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सामान्य विधि परीक्षा स्नातक (क्लैट-यूजी) के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाटीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा को खंडपीठ ने विधि पाठ्यक्रमों में कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (सीयूईटी) के अंकों के आधार पर प्रवेश देने के लिए निर्देश देने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, हम अब इस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। यह हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है, जहां उसने इस वर्ष के लिए क्लैट के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी है। यह अनुचित आदेश नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा व जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अन्य सभी विश्वविद्यालयों में इस शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं अंतरिम आदेश पारित किया था।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को डीयू को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए क्लैट-यूजी के अंक के आधार पर पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की अनुमति दी थी।

दिल्ली से झांसी जा रही ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, फिर जो हुआ; रह जाएंगे दंग

24 सितंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते-होते बच गया। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर नई दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया। तो आरपीएफ के जवान एएसआई घनश्याम मीना ने दौड़ कर ट्रेन के साथ घसीटते हुए यात्री को सुरक्षित बचाया।

नई दिल्ली। 24 सितंबर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होते-होते बच गया। नई दिल्ली से झांसी जाने वाली ताज एक्सप्रेस में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 पर आई और जैसे ही रवाना हुई तो एक यात्री का चलती गाड़ी में चढ़ने के प्रयास में पैर फिसल गया।



यात्री का पैर ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में फिसल गया तो आरपीएफ के जवान एएसआई घनश्याम मीना ने दौड़ कर ट्रेन के साथ घसीटते हुए यात्री को पकड़ा। किसी तरह से यात्री को ट्रेन और

प्लेटफार्म के बीच जाने से सुरक्षित बचा लिया।

सुरक्षित बचाया गया यात्री उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में डुमरई का रहने वाला है। यात्री का नाम हरदयाल पुत्र घनशू

राम है। वह निजामुद्दीन से वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई (झांसी) तक की यात्रा करने वाला था। सुरक्षित बचाए गए यात्री और प्लेटफार्म पर मौजूद अन्य यात्रियों ने RPF जवान का धन्यवाद दिया।

केजरीवाल की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा, अधिकारियों को धमका रहे हैं सतर्कता विभाग के अफसर

दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने को दावा किया कि सतर्कता अधिकारी अन्य विभागों में अपने समक्ष अधिकारियों को अवैध आदेश जारी करने की धमकी दे रहे हैं। आतिशी ने अधिकारियों को फोन पर धमकी मिलने की स्थिति में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही दोनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने को दावा किया कि सतर्कता अधिकारी अन्य विभागों में अपने समक्ष अधिकारियों को अवैध आदेश जारी करने की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली की मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई उन्हें डराने व धमकाने की कोशिश करता है तो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लें।

अवैध आदेश के लिए धमका रहे अफसर

सतर्कता एवं सेवा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही आतिशी ने सोमवार को एक आदेश में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि

कोर्ट का निर्देश है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के अफसरों को धमकी देकर परेशान कर रहे हैं ताकि वे अवैध आदेश जारी कर सकें।

कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकारियों को आदेश

इसी को देखते हुए आतिशी ने अधिकारियों को फोन पर धमकी मिलने की स्थिति में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की मंत्री की ओर से कहा गया कि यदि अधिकारियों को सतर्कता विभाग में बुलाया जाता है और धमकियां व्यक्तिगत रूप

से दी जाती हैं, तो जिस अधिकारी को धमकी दी जा रही है या डराया जा रहा है, उसे अपने फोन रिकॉर्ड पर बातचीत रिकॉर्ड करनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि ये रिकॉर्डिंग अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही दोनों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं।



कोर्ट का निर्देश है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के अफसरों को धमकी देकर परेशान कर रहे हैं ताकि वे अवैध आदेश जारी कर सकें।

कोर्ट का निर्देश है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के अफसरों को धमकी देकर परेशान कर रहे हैं ताकि वे अवैध आदेश जारी कर सकें।

कोर्ट का निर्देश है कि सतर्कता विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के अफसरों को धमकी देकर परेशान कर रहे हैं ताकि वे अवैध आदेश जारी कर सकें।

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि: सभी लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, 3 अक्टूबर को होगा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज़

उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद विवाद मामले में जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा जल्द सुनवाई करने की मांग मान ली है। जिला अदालत में लंबित सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। आज हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट में उठाया। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन मामले पर जल्द सुनवाई की मांग जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया। वकील विष्णु जैन ने कोर्ट को बताया कि 21 जुलाई को अंतिम बार सुना गया था। जस्टिस कौल ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है? इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हमने इस मामले में सुनवाई पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट



मामले की सुनवाई करता रह सकता है। कोर्ट ने कहा कि 3 अक्टूबर को इस मामले को देखेंगे। हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने

शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही इंदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था। ताकि यह

निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है। न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी थी।

महिला ने सहकर्मी पर लगाया गलत तरीके से छूने और उत्पीड़न का आरोप, मैनेजर पर केस दर्ज

दिल्ली के बरदपुर की रहने वाली एक युवती से आईटी क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करने के दौरान उत्पीड़न का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर सेक्टर-40 थाने में कंपनी के मैनेजर और अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बरदपुर निवासी युवती ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सेक्टर-30 स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में आठ मई को ज्वॉइन किया था।



कंपनी के मैनेजर ने उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया। महिला कर्मचारी ने मैनेजर पर गलत तरीके से छूने का भी आरोप लगाया। इसके बाद गलत तरीके से उन्हें 30 अप्रैल को कंपनी से निकाल दिया गया। जब उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से मैनेजर की शिकायत की तो उन्होंने भी मैनेजर का पक्ष लिया। महिला ने थाने में इसकी शिकायत दी। वहीं, लीगल एडवाइजर ने महिला की काउंसिलिंग भी की। थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गुरुग्राम। दिल्ली के बरदपुर की रहने वाली एक युवती से आईटी क्षेत्र की निजी कंपनी में काम करने के दौरान उत्पीड़न का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर सेक्टर-40 थाने में कंपनी के मैनेजर और अन्य के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बरदपुर निवासी युवती ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सेक्टर-30 स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी में आठ मई को ज्वॉइन किया था। आरोप है कि काम के दौरान

CM योगी बोले- तकनीकी संस्थान घिसे-पिटे कार्यक्रमों को छोड़कर नए पाठ्यक्रम अपनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को तकनीकी संस्थानों को नए दौर के पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत....



ज्ञान (एमओयू) करें। आज गोरखपुर ज्ञान की पुलिस ने इस दिशा में अभिनव पहल करते हुए मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञान किया है। "देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है"

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में है तथा राज्य के तकनीकी संस्थानों को चाहिए कि वे स्वयं को उससे जोड़ें। उन्होंने कहा "समाज की आवश्यकता के अनुरूप हम अपने शोध को आगे बढ़ाएं। इससे परिणाम सुखद होंगे।" उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को सुझाव दिया कि हमें समाज और सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कुलपति जय प्रकाश पाण्डेय, विधायक फतेह बहादुर सिंह और विपिन सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को तकनीकी संस्थानों को नए दौर के पाठ्यक्रम अपनाने की सलाह दी। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि "तकनीकी संस्थानों को घिसे-पिटे कार्यक्रम छोड़कर नए दौर के पाठ्यक्रमों को अपने यहां लागू करना होगा।"

2017 तक UP में केवल 2 साइबर थाने थे और अब....

सीएम योगी ने कहा कि "आज का समय तकनीक का है, जिसका उपयोग राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण में किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 साइबर थाने थे, लेकिन आज प्रदेश के हर जनपद में एक-एक साइबर थाना है। हर जिले में साइबर हेल्प डेस्क है, जिसकी वजह से साइबर अपराधों पर लगातार रोक रहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा "विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को यह जिम्मेदारी बनती है कि वह तकनीकी सहयोग के लिए साइबर थानों के साथ समझौता

को चाहिए कि वे स्वयं को उससे जोड़ें। उन्होंने कहा "समाज की आवश्यकता के अनुरूप हम अपने शोध को आगे बढ़ाएं। इससे परिणाम सुखद होंगे।" उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को सुझाव दिया कि हमें समाज और सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कुलपति जय प्रकाश पाण्डेय, विधायक फतेह बहादुर सिंह और विपिन सिंह समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे।

भारत की पहचान है सनातन, सनातन की छाया में ही अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं

डॉ. कृष्णगोपाल मिश्र

सनातन धर्म के विरुद्ध विपक्षी नेताओं के बयानों की गाली गलौज भरी बोलचाल देखकर पुरानी हिन्दी फिल्म का चर्चित गीत 'अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है' याद आता है। दुनिया की यह आदत रही होगी किन्तु भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में उसकी मूलभूत विशेषता सहिष्णुता के कारण यह आदत कभी नहीं रही। गुलामी के काले दिनों में अंग्रेजों ने भारतवर्ष के धर्म, संस्कृति, शिक्षा आदि समस्त अस्मिता सूचक महान संदर्भों के विरुद्ध षडयन्त्रपूर्वक विष उगलना प्रारम्भ किया। उनके इसी विष को यहाँ के कम्प्यूनिस्टों ने शिक्षा, साहित्य और कला के धरातल पर स्वतंत्र भारत में निरन्तर फैलाया और आज यही जहर राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए विपक्ष के कुछ नेता उगल रहे हैं। सनातन धर्म, समानता के खिलाफ है, वह कुष्ठ रोग की तरह है, उसे डेंगू मलेरिया और कोरोना की तरह मिटाना होगा- आदि अपमान सूचक वाक्य देश की फिजा में गूँवर कर दे रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। अधिक सनातन हिन्दूओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उनकी सहिष्णुता का खुला मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें समर्थन देने वाले इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। यदि स्वयं को चर्चा में लाने और मीडिया में छाने के लिए ऐसी अनर्गल बयानबाजी अभिव्यक्ति की आजादी है तो इस पर कठोर प्रतिबंध लगाये जाने पर विचार करना आज की बड़ी आवश्यकता बन गयी है क्योंकि ऐसे बयानों से विपक्ष को सत्ता मिले या न मिले किन्तु सामाजिक समन्वय, सद्भाव और सहयोग अवश्य क्षत-विक्षत होगा। समाज में संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए ऐसे नफरत भरे बयानों पर नियंत्रण अनिवार्य है। सनातन धर्म भारतवर्ष का अपना धर्म है। उसके सिद्धान्त शाश्वत हैं और न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समस्त विश्व के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। हजारों वर्ष पूर्व सनातन धर्म ने 'सर्वे भवन्तु

सुखिनः' का उदार भाव व्यक्त किया और आज भी वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों की समापन वेला में 'विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो'- जैसे उद्बोध गुंजित कर अपनी मूल्य चेतना को स्वर देता है। प्रकृति के साथ उसकी गहरी रगामकता है जो नदी, सागर, पर्वत, वन, बादल, भूमि, वायु आदि में देवत्व उभर करती है और प्राकृतिक पर्यावरण की शुद्धता के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है। सनातन धर्म के अद्वैत दर्शन ने मनुष्य के साथ-साथ जीवमात्र में परम सत्ता का दर्शन देकर पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों तक की रक्षा का प्राधान्य किया है। सनातन धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्मण्य, गाय हाथी, कुत्ता, चाण्डाल सब में एक ही ईश्वर की उपस्थिति निर्दिष्ट कर जीवमात्र की समानता का संखानाद करता है। वैदिक युग से लेकर आज तक उसका प्रवाह निर्बाध रहा है। शास्त्र और शास्त्र सनातन धर्म की दो सशक्त भुजाएँ हैं। राम, कृष्ण और शिव उसके प्रतीक आदर्श हैं। भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैले छोटे-बड़े करोड़ों मंदिर, चैत, चबूतरों उसके ऊर्जा केन्द्र हैं और असंख्य साधु-संन्यासी उसके संरक्षक हैं। उसे मिटाने की बात करना दिन में सपने देखने जैसा है। सनातनी धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने में अग्रणी हैं। शकों और हूणों जैसे बर्बर आक्रान्ताओं पर विजय प्राप्त करने वाला सनातन धर्म गजनी, गोरी, तैमूर, औरंगजेब, नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली जैसे आक्रान्ताओं से टकराकर भी नहीं टूटा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए पादरियों के कुचक्र और प्रलोभन उसे लुभा न सके। हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद भी उसकी विजय-पताका सबसे ऊँची है। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानन्द के व्याख्यान की सर्वस्वीकृति उसकी साक्षी है। सनातन धर्म ही है। उसमें धर्म की तरह झुककर पैरों तले रौंदे जाने पर भी अपने अस्तित्व को बचा ले जाने



की अद्भुत क्षमता है। विधर्मी आक्रमणों और कुटिल षडयंत्रों की कड़ी धूप में सूख जाने पर भी वह अवसर पाकर हरी हो उठती है। सनातन धर्म के विस्तार के लिए सनातन अमरवेल है। उसे अपने विस्तार के लिए कभी राजसिंहासन का सहारा नहीं लेना पड़ा। वह राजपुत्रों और राजवंशों से पोषण पाकर नहीं फैली। उसे अपने प्रसार के लिए आक्रमणकारी सैनिकों और सेवा का आडम्बर रचते प्रलोभनकारी व्यापारियों का सहारा नहीं लेना पड़ा। सनातन धर्म की अमरवेल अपने उदार चिन्तन और मानवीय मूल्यों के कारण बिना आश्रय के ही फल-फूल रही है। विश्व में प्रतिष्ठित हो रहे नए मंदिर इसके प्रमाण हैं। सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में मंदिर निर्माण सनातन की नयी प्रतिष्ठा है। इस्कान द्वारा स्थापित कृष्ण मंदिरों की बढ़ती संख्या सनातन धर्म की अमर बेल का नूतन विकास है। सनातन धर्म अक्षयवट है जिसकी छाया में मनुष्यता सुरक्षित है। उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उसका विस्तार आकाश में भी उतना ही अपार है। उसके आदर्श काल्पनिक नहीं यथार्थपरक हैं। वह जड़ अथवा स्थिर नहीं है, गतिमान है और परिवर्तनशील

है। उसमें अपने अंदर समय के साथ आने वाली विकृतियों को स्वयं दूर करने की अद्भुत क्षमता है। गति, परिवर्तन, परिष्करण, संशोधन उसके मूलतत्त्व हैं। इसलिए वह चिर पुरातन और नित नवीन है। उसकी पृष्ठभूमि में विराट इतिहास है और उसके समक्ष अनन्त भविष्य। सनातन मनुष्य की रचनात्मक प्रज्ञा का अक्षय प्रवाह है। नकारात्मक नारों का भ्रामक प्रचार उसे रोक नहीं सकता। विगत शताब्दियों में परतंत्रता जनित्र प्रभावों के कारण सनातन में आथी छुआछूत, पर्दा, बालविवाह, आदि विकृतियों पर विजय पाने की ओर सनातन का विजय-रथ निरन्तर अग्रसर है। सनातन को कोसकर समाज में जहर घोलने वाले इन तथ्याक्तियों बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों और नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब से लागू पंद्रह सौ वर्ष पूर्व सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत भ्रमण पर आने वाले विदेशी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारतीय समाज की जिस सुख, शान्ति, समृद्धि का उल्लेख किया है वह सनातन चिन्तन परम्परा की ही देन है। भारत सोने की चिड़िया सनातन व्यवस्था की छाया में ही रहा। अयोध्या

नरेश सत्यवादी हरिश्चन्द्र को काशी के डोम ने खरीदा था इस संदर्भ से भी प्राचीन भारत में सनातन व्यवस्था में दलित समझे जाने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति का अनुमान करना चाहिए। लगभग सौ वर्ष पूर्व सवर्ण वर्ग में जन्मे महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना कर सनातन धर्म में संशोधन करते हुए असुर्यता के अभिशाप को दूर करने की दिशा में देशव्यापी सार्थक प्रयत्न किये। कथित ऊँची जातियों में जन्म लेने वाले वीर सावरकर, महात्मा गाँधी, डॉ. हेडगेवार, प. श्रीराम शर्मा आचार्य आदि ने सनातन में आए सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए गंभीर प्रयत्न किये जिनका शुभ परिणाम स्वतंत्र भारत में धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक धरातल पर आज सबके सामने है। मंदिरों के द्वार सबके लिए खुले हैं। आज चाय की गुमटियों, होटलों और चाट के ठेलों पर खाने-पीने का सामान बनाने वालों की जाति नहीं पूछी जाती। सामाजिक समरसता के इन प्रयत्नजनित्र सकारात्मक परिवर्तनों ने सनातन को नई शक्ति दी है। जिन गाँवों-कस्बों में अभी भी हठपूर्वक छुआ-छूत जैसे अपराध यदि कुछ लोग कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध

कठोर कानूनी कार्यवाहियाँ हो रही हैं। जितना घना अंधेरा कल तक था उतना आज नहीं है। जो आज बचा है वह कल नहीं रहेगा। इस आशा और विश्वास के साथ सनातन समाज आगे बढ़ रहा है। उसने तुलसीदास के उस रामराज्य की स्थापना को चुना है जिसमें चारों वर्णों के लोग राजघाट पर साथ-साथ स्नान करते हैं।

राजघाट सब विधि सुंदर वर। मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर।।

किन्तु सामाजिक समरसता के इस राजघाट का निर्माण दलित और सवर्ण की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। वह उनकी आँख की किरकिरी बन रहा है क्योंकि इसके कारण उन्हें सत्ता स्वयं से छिंटकती दिख रही है। उनकी बौखलाहट बढ़ रही है और वे वाणी का विवेक और संयम खोकर स्वयं को ही कोस रहे हैं। सनातन को कोसने वालों का मूल भी सनातन में ही है क्योंकि सनातन ही भारत की पहचान है। संसार के अन्य देश भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत यहाँ के मठों, मंदिरों, धर्म ग्रंथों, पर्व-उत्सवों, राम-कृष्ण आदि महापुरुषों से ही जानते हैं। सनातन है तो भारत है। सनातन नहीं तो भारत नहीं, भारत की पहचान नहीं। सनातन की छाया में ही भारत में अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं। विगत सात दशकों का इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान और बंगलादेश में सनातन के अल्पमत में आते ही वहाँ अन्य धर्मों के अनुयायी सुरक्षित नहीं रहे। अफगानिस्तान में सनातन पूरी तरह निर्मूल हुआ है तो वहाँ बौद्ध, जैन और सिख आदि भी नहीं बचे हैं। जिस धर्म-निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव की दुहाई हमारे विपक्षी नेता देते हैं उसकी सुरक्षा सनातन की पुष्टि में ही है, उसके निर्मूलन में नहीं।

विभागाध्यक्ष-हिन्दी शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय नर्मदापुरम्.प्र.

